



सं. 1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 24 जुलाई, 2019

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ए), मुंबई-400 051	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, तल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
--	---

विषय: सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसरण में सूचना

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार सूचित किया जाता है कि, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के निदेशक मंडल द्वारा आज अर्थात 30 जुलाई, 2019 को आयोजित होने वाली अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इस निमित्त बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत आगामी एजीएम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बॉण्डों/डिबेंचर/नोट्स/ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से निजी प्लेसमेंट के जरिए संसाधन जुटाने के लिए आगामी एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी लेने के प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com